राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 3 अप्रैल, 1975

क्रमांक 678-ज(II)-75/9025.—श्री अमृत लाल, पुत्र श्री गुगन, निवासी गांव सालवान, तहसील व जिला करनाल, की दिनांक 8 जुलाई, 1974 को मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है तथा उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2ए(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री अमृत लाल की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की युद्ध जागीर, जो कि उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5920-र(III)-70/1797, दिनांक 19 जनवरी, 1971, द्वारा स्वीकृत की गई थी, अब श्रीमती धाओ, विधवा श्री अमृत लाल, के नाम रबी, 1975 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत मंजूर की जाती है।

दिनांक 4 अप्रैल, 1975

क्रमांक 2338-ज(I)-74/9060.—श्री ठाकुर दास गोसांई, पुत्र श्री कांशी राम, निवासी अम्बाला छावनी तहसील व जिला अम्बाला, की दिनांक 27 मई, 1973 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री ठाकुर दास गोसांई की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे संयुक्त पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 12759-जे० एन०-(III)-65/927, दिनांक 20 जनवरी, 1966 तथा हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5041-आर(III)-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती चानन देवी के नाम खरीफ, 1973 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अंतर्गत मंजूर की जाती है।

दिनांक 7 अप्रैल, 1975

क्रमांक 543-ज(I)-75/9196.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री चेत राम शर्मा, पुत्र चन्दगी राम, गांव बापोड़ा, तहसील व जिला भिवानी, को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 8 अप्रैल, 1975

क्रमांक 535-ज(II)-75/9328.—श्री लाजे राम, पुत्र श्री हरनाम, निवासी ग्राम गमाना, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, की दिनांक 13 जुलाई, 1972 को मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है तथा उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2ए(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री लाजे राम की मुब्लिग 150 रुपए वार्षिक की युद्ध जागीर जो की उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1545-र(III)-69/10786, दिनांक 8 मई, 1969, तथा 5041-आर(III)-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा स्वीकृत की गई थी, अब श्रीमती भगवानी, विधवा श्री लाजे राम, के नाम रबी, 1973 से 150 रुपए वार्षिक की दर से सनद में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत मंजूर की जाती है।

यशवन्त कुमार जैन,

विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

LATE NOTIFICATIONS